Grams : ALINDIABAR, New Delhi
E-mail : info@barcouncilofindia.org
Website : www.barcouncilofindia.org

Tel. : (91) 011-4922 5000
Fax : (91) 011-4922 5011

सत्यमेव जयते

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
BAR COUNCIL OF INDIA

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)

21, Rouse Avenue Institutional Area, New Delhi - 110 002

BCI : D : 1039 /2015(Council)

STBC (Cir.) No. 7 /2015

11-3-2015

To,

Secretaries
of all the State Bar Councils

Sirs/Ma'am,

I am sending herewith a copy of Gazette notification relates to the enhancement of the subscription payable under rule-40 of the Bar Council of India notified in the Gazette of India vide Extra Ordinary Gazette Part-3, Section –IV, published on 2nd March,2015. This is for your information and compliance.

Yours Sincerely,

(J.R. Sharma)
Secretary

Encl: as above.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2015/फाल्गुन 11, 1936
No. 71] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2015/PHALGUNA 11, 1936

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2015

23 अगस्त, 2014 को आयोजित सामान्य परिषद् की बैठक की कार्यवृत के अंश

मद संख्या 268/2014 दिनांक 20.09.2014 के तहत संशोधित

मद संख्या 210/2014 और 249/2014.—"मद सं. 210/2014 और मद सं. 249/2014 साथ–साथ परिषद् द्वारा विचारित किये गये, जो कि बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों के नियम 40 के तहत देय चन्दा वृद्धि से संबंधित हैं। परिषद् ने माननीय सदस्य द्वारा मद सं. 84/2014 के क्रम में दिये निर्देश के अंतर्गत प्रस्तुत आख्या को विचारित किया, बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों के नियम 40 के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा पारित संकल्प को विचारित के समय, परिषद् ने बार काउंसिल ऑफ उड़ीसा के सचिव से प्राप्त पत्र दिनांकित 01.08.2014 और साथ ही बार काउंसिल ऑफ इण्डिया की अधिवक्ता कल्याण कोष समिति के संकल्प दिनांक 26.07.2014 हेतु उड़ीसा राज्य को भी विचारित किया।"

विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् परिषद् ने संकल्प किया कि बढ़ती मुद्रास्फीती की दर और रिहायश लागत को देखते हुए अधिवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा चन्दा बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों के नियम 40 के अंतर्गत, में वृद्धि करना आवश्यक है। परिषद् ने समिति के एक सदस्य के विचारों को भी स्वीकार किया कि ₹ 20,000/– राशि एक निजी अधिवक्ता द्वारा देय होनी चाहिए और ₹ 50,000/– राशि एक से अधिक अधिवक्ता के लिए देय होनी चाहिए तहत योजना के राज्य बार काउंसिल को आर्थिक सहायता हेतु और अंतर्गत बार कांउसिल ऑफ इण्डिया के नियमों के नियम 44 (बी) क्रमानुसार ₹ 50,000/– और ₹ 1,00,000/– राशि में वृद्धि होगी। परिषद् ने निर्णय किया आजीवन भुगतान की राशि ₹ 1,000/– को ₹ 3,000/– किया जाये और 3 साल के लिए चन्दे की राशि ₹ 600/– को वृद्धि करके ₹ 1,800/– राशि की जाये।

परिषद् ने यह भी संकल्प किया कि बिलम्ब शुल्क की राशि ₹ 5/– प्रतिमाह को ₹ 100/– प्रतिमाह किया जाये और अधिकतम ₹ 600/– देय होंगे यदि अधिवक्ता उसे निर्धारित समय अवधि में चुकाने में असफल होता है, जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों के नियम 40 में प्रावधान है। तद्नुसार नियम 40, उपाबंध नियम 40, नियम 40 की व्याख्या–2 को निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है:–

संकल्प सं. 153/2014:

बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों का नियम 40 अध्याय–2 भाग–6

प्रत्येक अधिवक्ता जो राज्य बार काउंसिल की नामावली में है, प्रत्येक तीसरे वर्ष ₹ 1,800/– की राशि गजट में दिये अधिसूचना की दिनांक से लागू राज्य बार काउंसिल को अदा करेगा साथ ही इन नियमों के अन्त में दिये प्रपत्र अनुसार विवरणों का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। प्रथम भुगतान गजट में अधिसूचना की दिनांक को या उससे पूर्व किया जाना है या बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा जैसा कि समय वृद्धि अधिसूचित की जाती है या संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा।

यह कि आगे कि यद्यपि एक अधिवक्ता को ₹ 1,800/– का भुगतान प्रत्येक तीन वर्ष में एक समेकित राशि ₹ 3,000/– में करने की छूट/स्वतंत्रता होगी। यह एक आजन्म भुगतान होगा जो कि संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा स्थायी जमा में रखी जायेगी। इस आजन्म भुगतान में से 80 प्रतिशत राज्य बार काउंसिल द्वारा स्थाई जमा में रखी जायेगी और बाकी राशि 20 प्रतिशत को बार काउंसिल ऑफ इण्डिया को हस्तांतरित की जानी है। बार काउंसिल ऑफ इण्डिया और राज्य बार काउंसिल को इसे स्थाई जमा में रखना है और इस जमा पर प्राप्त ब्याज का उपयोग केवल अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए किया जायेगा।

व्याख्या–1–नियम 40 के अनुसार वांछित विवरणों का बयान निधारित प्रपत्र में वर्णित कर तीन वर्ष में केवल एक बार प्रस्तुत करना होगा।

व्याख्या–2–केवल अधिवक्ता जो वास्तव में वकालत कर रहे हैं और कोई वेतन प्राप्त नहीं कर रहे और न ही पूरे समय की नौकरी में हैं और अपने संबंधित नियोक्ता से वेतन प्राप्त नहीं कर रहे, केवल उन्हें इस नियम में संदर्भित राशि को अदा करना है।

व्याख्या–3–यह नियम गजट में दी गयी अधिसूचना की दिनांक से प्रभावी होगा और इससे पूर्व की अवधि के लिए अधिवक्तागण यथावत पुराने नियमानुसार निरंतर पाबंद होंगे।

परिषद् ने यह भी संकल्प किया कि एक निजी अधिवक्ता द्वारा देय ₹ 20,000/– की राशि और एक से अधिक अधिवक्ता द्वारा देय ₹ 50,000/– की राशि को बढ़ाकर क्रमशः ₹ 50,000/– और ₹ 1,00,000/– कर दिया गया है। तद्नुसार राज्य बार काउंसिल के लिए वित्तीय सहायता की योजना के चरण–4 और व्यक्तिगत के लिए बार काउंसिल के लिए बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों के नियम 44 (बी) में निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है:–

संकल्प सं. 154/2014:

"राज्य बार काउंसिल और व्यक्तिगत के लिए वित्तीय सहायता की योजना का चरण–4 और बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों के अंतर्गत 44 बी :–

4. राज्य बार काउंसिल के चैयरमैन से प्राप्त सूचना पर या सदस्य उस राज्य की बार काउंसिल ऑफ इण्डिया से या चैयरमैन, बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा आख्या से संतुष्ट होने पर तुरन्त उचित धनराशि ₹ 50,000/– से अधिक नहीं एक निजी मामलें में स्वीकृत होगी और ₹ 1,00,000/– यदि कुछ विपदा में एक से अधिक अधिवक्ता के शामिल होने पर और आख्या बार काउंसिल ऑफ इण्डिया की अधिवक्ता कल्याण समिति को दी जायेगी। राज्य बार काउंसिल को वित्तीय सहायता निम्न में से किसी भी मामले में उपलब्ध होगी:–

   (अ) अधिवक्ता का अधिवक्तागण कुछ प्राकृतिक विपदा के कारण गम्भीर रूप से पीड़ित हो गये हैं, या

   (ब) अधिवक्ता या अधिवक्तागण किसी दुर्घटना या प्राकृतिक विपदा या अन्य किसी कारण जैसे प्राकृतिक अप्राकृतिक मृत्यु से मर गये हैं, या

   (स) अधिवक्ता या अधिवक्तागण किसी गम्भीर बीमारी से पीड़ित हो गये हैं या हो रहे हैं, जिससे उचित इलाज नहीं देने पर मृत्यु कारित हो सकती है और अधिवक्ता को वित्तीय सहायता की जरूरत है जिसके अभाव में वह उचित इलाज प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा और कोई निजी संपत्ति नहीं रखता सिवाय आवासीय मकान और ऐसे खर्चों के लिए असमर्थ है, या

   (द) अधिवक्ता या अधिवक्तागण शारीरिक रूप से विकलांग हो गये हैं या अपने व्यवसाय को जारी रखने में असमर्थ हो गये हैं, किसी प्राकृतिक विपदा या दुर्घटना या किसी अन्य कारण जैसे प्राकृतिक आदि।

परिषद् ने यह भी संकल्प किया कि राज्य बार काउंसिल को योजना के अंतर्गत देय वित्तीय सहायता में वृद्धि करनी चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों के नियम 40 के तहत बढ़े चन्दे के अनुपात में। तद्नुसार राज्य बार काउंसिल द्वारा संशोधन किया जाना है जो कि केवल बार काउंसिल ऑफ इण्डिया की स्वीकृति के पश्चात् ही प्रभावी होगा।

उपरोक्त लिखित प्रस्ताव गजट में नोटिफिकेशन होने पर ही लागू होगा।

जे. आर. शर्मा, सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./96/14]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2015

Extracts of the Minutes of the General Council Meeting held on 23rd August, 2014

As modified under Item No. 268/2014, dated 20-9-2014

Item No. 210/2014 and 249/2014.—Item No. 210/2014 and Item No. 249/2014 are considered by the Council together; since, it relates to the enhancement of the subscription payable under Rule-40 of the Rules of the Bar Council of India. Council considered the report submitted by the Hon'ble Member as submitted in pursuance of direction under Item No. 84/2014, while considering the Resolution passed by the Bar Council of India in regard to Rule-40 of the Rules of the Bar Council of India. Council also considered letter dated 01.08.2014 received from the Secretary, Bar Council of Odisha along with the Resolution of the Advocates' Welfare Fund Committee of the Bar Council of India for the State of Odisha dated 26.07.2014.

After detailed discussion, Council resolved that looking into the increased inflation rate and cost of living, the subscription payable by the Advocates under Rule-40 of the Rules of the Bar Council of India is required to be enhanced. Council also accept the views of one Member Committee that figure of ₹ 20,000/- payable to an individual advocate and figure of ₹ 50,000/- payable to more than one advocate under scheme for financial assistant to the State Bar Council and individual under Rule-44(B) of the Rules of the Bar Council of India shall be enhanced to ₹ 50,000/- and ₹ 1,00,000/- respectively. Council decided that for life time payment of amount of ₹ 1,000/- be substituted by ₹ 3,000/- and for 3 year subscription an amount of ₹ 600/- to be increased to ₹ 1,800/-.

Council also resolved to enhance the late fee from ₹ 5 per month to ₹ 100/- per month subject to the maximum payable amount of ₹ 600/- in case advocate fails to pay the same within the prescribed time as provided under Rule-40 of the Rules of the Bar Council of India. Accordingly, Rule-40, Proviso to Rule-40, Explanation-II of Rule-40 is amended as follows:—

Resolution No. 153/2014

"Rule-40, Chapter-II, Part-VI of the Rules of the Bar Council of India

Every Advocate borne on the rolls of the State Bar Council shall pay to the State Bar Council a sum of ₹ 1,800/- every third year commencing from the date of notification in Gazette along with a statement of particulars as given in the form set out at the end of these Rules, the first payment to be made on or before the date of notification in Gazette or such extended time as notified by the Bar Council of India or the concerned State Bar Council.

Provided further however that an advocate shall be at liberty to pay in lieu of the payment of ₹ 1,800/- every three years a consolidated amount of ₹ 3,000/-. This will be a life time payment to be kept in the fixed deposit by the concerned State Bar Council. Out of life time payment 80% of the amount will be retained by the State Bar Council in a fixed deposit and remaining 20% has to be transferred to the Bar Council of India. The Bar Council of India and State Bar Council have to keep the same in a fixed deposit and the interest on the said deposits shall alone be utilized for the Welfare of the Advocates.

Explanation 1 : *Statement of particulars as required by rule 40 in the form set out shall require to be submitted only once in three years.*

Explanation 2 : *The Advocates who are in actual practise and are not drawing salary or not in full time service and not drawing salary from their respective employers are only required to pay the amount referred to in this rule.*

Explanation 3 : *This rule will be effective from the date of notification in Gazette and for period prior to this, advocates will continue to be covered by old rule."*

Council also resolved that the figure of ₹ 20,000/- payable to an individual advocate and figure of ₹ 50,000/- payable to more than one advocate is increased to ₹ 50,000/- and ₹ 1,00,000/- respectively. Accordingly, Clause-4 of Scheme for the financial assistance to the State Bar Council and Individual under Rule-44(B) of the Rules of the Bar Council of India is amended as follows:—

Resolution No. 154/2014

"Clause-4 of Scheme for Financial assistance to State Bar Councils and Individuals under Rule-44B of the Bar Council of India Rules:—

4. *That on receiving information from the Chairman of the State Bar Council or Member, Bar Council of India from that State, the Chairman, Bar Council of India on being satisfied by such report may immediately sanction a reasonable amount not exceeding ₹ 50,000/- in an individual case and ₹ 1,00,000/- in case of some calamity involving more than one advocate and shall report to the Advocates Welfare Committee of the Bar Council of India. The financial assistance to the State Bar Councils will be available in any of the following cases: -*

   (a) The advocate or advocates have suffered seriously on account of some natural calamity, or;

   (b) the advocate or advocates have died an unnatural death, due to an accident or natural calamity or any other cause of like nature, or;

   (c) the advocate or advocates have suffered or is suffering from such serious disease or illness which is likely to cause death if no proper treatment is given and the advocate requires financial assistance without which he would not be able to get proper treatment and has no personal assets except a residential house to meet such expenditures, or;

   (d) the advocate or advocates become physically disabled or incapacitated to continue his profession on account of natural calamity or accident or any other cause of like nature."

Council further resolved that the State Bar Council should also increased the Financial Assistance payable under the scheme as proportion to the increased subscription under Rule-40 of the Rules of the Bar Council of India. Accordingly, the amendment is to be made by the State Bar Council, which will be effective only after approval of the Bar Council of India.

The above said Resolution will be made applicable from the date of notifying in the Gazette Notification.

J. R. SHARMA, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./96/14]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.